रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 1970/फाल्गुन 19, 1891
No. 85] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 1970/PHALGUNA 19, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th March 1970

S.O. 958.—Whereas a vacancy has been caused in the Council of States by the resignation of Shri Rizaq Ram, a member elected to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 31st March, 1970.

[No. 100/CS-HN/1/70/(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1970

एस० ओ० 958:—यतः हरयाणा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री रिजक राम के त्याग-पत्र दे दिये जाने से राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग हरयाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 31 मार्च, 1970 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०-हर०/1/70(1)]

S.O. 959.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HN/1/70(1), dated the 10th March, 1970:—

(a) the 17th March, 1970 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 18th March, 1970 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 20th March, 1970 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 28th March, 1970 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 31st March, 1970 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-HN/1/70(2).]

एस० ओ० 959.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-हर०/1/70 (1) तारीख 10 मार्च, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में —

(क)	नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	—17 मार्च, 1970 (मंगलवार)
(ख)	नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख	—18 मार्च, 1970 (बुधवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	—20 मार्च, 1970 (शुक्रवार)
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा ; तथा	—28 मार्च, 1970 (शनिवार)
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	—31 मार्च, 1970 (मंगलवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा० स०-हर/1/70(2)]

S.O. 960.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 11.00 A.M. to 3.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HN/1/70(1), dated the 10th March, 1970.

[No. 100/CS-HN/1/70(3).]

एस० ओ० 960.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-हर०/1/70/(1), तारीख 10 मार्च, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/रा०स०-हर०/1/70/(3)]

S.O. 961.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Haryana, hereby designates Secretary, Haryana Vidhan Sabha, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HN/1/70(1), dated the 10th March, 1970.

[No. 100/CS-HN/1/70(4).]

एस० ओ० 961:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, हरयाणा सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-हर०/1/70(1) तारीख 10 मार्च, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए हरयाणा विधान सभा, के सचिव को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 100/रा०स०-हर०/1/70/(4)]

S.O. 962.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Deputy Secretary, Haryana Vidhan Sabha, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HN/1/70(1), dated the 10th March, 1970, in performance of his functions.

[No. 100/CS-HN/1/70(5).]

By order,
A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 962:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं०-100/रा०स०-हर०/1/70/(1), तारीख 10 मार्च, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए हरयाणा विधान सभा के उप-सचिव की एतदद्वारा नियुक्ति करता है ।

[सं० 100/रा०स०-हर० 1/70(5)]

आदेश से,
ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970